**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1503**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**निरोध शिविर नियमावली**

**1503. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या देश भर में निरोध शिविर स्थापित किए जा रहे हैं;**

**(ख) यदि हां, तो इनका उद्देश्य क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जनवरी, 2019 में एक ‘मानक निरोध केंद्र/नियंत्री केंद्र नियमावली’ परिचालित की है;**

**(घ) क्या इस नियमावली को सार्वजनिक किया गया है;**

**(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(च) उपर्युक्त नियमावली को कब तक सार्वजनिक किया जाएगा?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) और (ख): विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ङ) और 3(2)(ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को डिटेन करने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अंतर्गत, केंद्र सरकार आदेश के द्वारा ऐसे किसी विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकालने का निदेश भी दे सकती है, जिसने बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश किया है। केंद्र सरकार

**-2-**

**रा.स.अ.प्र.सं. 1503**

की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत वर्ष 1958 से सभी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 310 में दिनांक 28.02.2012 के अपने आदेश के तहत यह निदेश दिया था कि जिन विदेशी राष्ट्रिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाएगा और उनका निर्वासन/प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें प्रतिबंधित गतिविधि के साथ उपयुक्त स्थान पर रखा जाएगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए दिनांक 07.03.2012 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए थे।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार डिटेंशन सेंटर उन अवैध आप्रवासियों/विदेशी राष्ट्रिकों को डिटेन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं; जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनका राष्ट्रीयता के सत्यापन की कमी के कारण उनके मूल राष्ट्र में प्रत्यावर्तन लंबित है।

(ग) से (च): कोलैबोरेटिव नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, गुवाहाटी द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं.406/2013 के तहत आई.ए. सं.105821/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.09.2018 और 20.09.2018 के आदेशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने एक मॉडल डिटेंशन सेंटर/होल्डिंग सेंटर/कैंप मैनुअल तैयार किया था। इसे दिनांक 09.01.2019 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था। एक शपथ पत्र दायर करके इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था।

\*\*\*\*\*\*